



141

रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प

इन्दौर के समक्ष

PBR/अनग/उच्चर/भू.श.।2017।4618

श्री. राजस्व मण्डल
ग्वालियर
21-11-17
श्री. राजस्व मण्डल
ग्वालियर
21-11-17

1. जावेद पिता जाकिर पटेल
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
निवासी - ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर
2. अमजद पिता जाकिर पटेल
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
निवासी - ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर
3. इरफान पिता जाकिर पटेल
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
निवासी - ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर — प्रार्थीगण

विरुद्ध

अनुविभागीय अधिकारी,
विजय नगर क्षेत्र इन्दौर

— प्रतिप्रार्थी

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय
इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 128/बी-121/16-17 में पारित
आदेश दिनांक 15.11.2017 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपनी
निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करते हैं :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक R.B.P. विभा. इंजी. श.स. 2017/4618

ज.वि.द. कार्यालय विरुद्ध SDO झांझार

तहसील जिला झांझार

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
22.11.2017	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला S.D.O.</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. 15.11.17</p> <p>के विरुद्ध श्री श्री. ए. ए. जोशी</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.....रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/ पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार आवेदकगण की ओर से श्री ए. ए. जोशी अभिभावक उपस्थित। श्रावण पर सुना गया। उनके द्वारा बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा</p>	<p>Notes 22/11/17</p> <p>[Signature]</p> <p>[Signature] R. O. Joshi</p>

[पीछे देखिये]

D52/100/347/2.21/2017/4618

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अधिकारियों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आवेदकगण के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, परन्तु आवेदक गण चाही गई आदेशिका प्राई अनुविभागीय आधीकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अतः कमेटर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे धारिपर्यंत नई कि अनुविभागीय आधीकारी न मिले तब सत्य प्रतिनिधि आवेदक को उपलब्ध कराये। जब तक अनुविभागीय आधीकारी आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करें। उन्ही निर्देशों के साथ प्रकण समाप्त किया जाता है।</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

[Signature]

[Signature]
अध्यक्ष